मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड–II, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्रमांक 17451 /विश्व बैंक/MPRCP-04/म.प्र.ग्रा.सवि.प्रा./16 भोपाल, दिनांक /08/2016

प्रति,

महाप्रबंधक समस्त
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना कियान्वय इकाई ..... (म.प्र.)

विषयः– मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना के कार्यो का विश्व बैंक सहायता से डामरीकरण।

संदर्भः– 1प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल का पत्र क 4868/22/वि–10/ग्रायसे/स.प्र –/2016 भोपाल दिनांक 28.07.2016

–00–

उपरोक्त विषय एंव संदर्भ में उल्लेख है कि प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना के कार्यो का विश्व बैंक सहायता से डामरीकरण हेतु आवश्यक निर्देश, अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल समस्त (मध्य प्रदेश) एवं कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (संभाग समस्त) को संदर्भित आदेश द्वारा दिये गए है। सुलभ संदर्भ एवं हेतु छाया प्रति संलग्न है, आवश्यकतानुसार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों से संपर्क कर उचित कार्यवाही करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

9/8/16

(पी.के.झवर)
मुख्य महाप्रबंधक
(एम.पी.आर.सी.पी.)
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

~~17451~~ 17452

क्रमांक /विश्व बैंक/MPRCP-04/म.प्र.ग्रा.सवि.प्रा./16 भोपाल, दिनांक 09/08/2016

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख अभियंता मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ
2. प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त मुख्य महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अधीक्षण यंत्री (तक.) ,ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

9/8/16

मुख्य महाप्रबंधक
(एम.पी.आर.सी.पी.)
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक 4868 / 22 / वि–10 / ग्रायांसे / स.प्र.– / 2016, भोपाल, दिनांक 28 / 07 / 2016

प्रति,

1. अधीक्षण यंत्री,
   ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
   मण्डल–समस्त (म.प्र.)

2. कार्यपालन यंत्री,
   ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
   संभाग – समस्त (म.प्र.)

विषयः– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों का विश्व बैंक सहायता से डामरीकरण।

आप अवगत है कि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के माध्यम से प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के डामरीकरण के कार्य की योजना बनाई गई है। इस योजना में विश्व बैंक के निर्देशानुसार डी.पी.आर. बनाने का कार्य वर्तमान में प्रचलित है।

2/ उक्त योजना के डी.पी.आर. बनाने में डी.पी.आर. कंसल्टेंट्स एवं मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के इंजीनियर्स से बैठक के दौरान यह ज्ञात हुआ कि डी.पी.आर. के लिये सर्वे करते समय कार्यों में निम्न कमियाँ पाई जा रही हैं:–

1. कई निर्माण कार्य ऐसे हैं जो पूर्ण हो चुके हैं किन्तु उनका पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है (मैंने सभी को निर्देश दिये है कि जिस कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है वह योजना में शामिल नहीं किया जाए)। अतः तत्परता से पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करें।
2. डी.पी.आर. कंसल्टेंट द्वारा कुछ मार्गों में बेसकोर्स एवं सर्फेसकोर्स निर्धारित मोटाई में नहीं पाया गया। अतः कंसल्टेंट को निर्देश दिये गये हैं कि वे कार्यपालन यंत्री के साथ समन्वय कर वस्तुस्थिति ज्ञात करेंगे एवं इसका निराकरण स्थल पर ही किया जावेगा। निर्धारित मोटाई की गणना में वर्षाकाल में होने वाले क्षरण, संधारण आदि को भी ध्यान में रखा जाये।
3. कई स्थानों में सड़क की चौड़ाई 5.50 मीटर से भी कम है। मैंने कंसल्टेंट को निर्देश दिये हैं कि वन क्षेत्रों में यदि ऐसी स्थिति हो तो वहाँ डी.पी.आर. नहीं बनाए जावें। ऐसी सड़कें पी.आई. यू. के साथ समन्वय से चिन्हित कर लें।
4. कई निर्माण कार्यों में पुलिया/रपटों में काफी टूट–फूट हो गई है, जबकि उन्हें निर्मित होकर अधिक समय नहीं हुआ है। इसमें डी.पी.आर. में अपेक्षित सुधार का विवरण अंकित करने तथा डी.पी.आर. में पुलियों/रपटों की वर्तमान स्थिति दर्शाते हुए, फोटोग्राफ्स भी सम्मिलित करने के निर्देश कंसल्टेंट को दिये गये, ताकि आवश्यकतानुसार जिम्मेदारी निर्धारित हो सके।
5. बहुत से कार्यों में मार्गों का रख–रखाव उचित तरीके से नहीं किया जाना पाया गया, जबकि कार्य अभी भी पूर्णता दिनांक के अनुसार संधारण अवधि में है। यह अपेक्षित है कि ऐसे कार्यों में कार्यपालन यंत्रियों द्वारा अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाए।

3/ उपरोक्त से आशय यह है कि वर्तमान में प्राधिकरण के कंसल्टेंट द्वारा डी.पी.आर. बनाने का कार्य चल रहा है अतः ऐसे समय में जब भी कोई कंसल्टेंट आपके कार्यक्षेत्र में डी.पी.आर.

बनाने के लिये जाए, तो आपके द्वारा संभाग का कोई उपयंत्री अथवा सहायक यंत्री कंसल्टेंट के साथ जावे, ताकि उपरोक्त प्रकार की पाई गई कमियों के संबंध में स्थिति तुरन्त स्पष्ट की जा सके। अन्यथा स्थिति में एक ही विभाग के दो संस्थाओं से किये जाने वाले कार्यों में विषमता पाई जाने पर संबंधित कार्यपालन यंत्री एवं सहायक यंत्री/उपयंत्री को उत्तरदायी मानकर, तदनुसार कार्यवाही की जावेगी। कृपया इस संबंध में अपने क्षेत्र के सड़क कार्यों का निरीक्षण पुनः करा लें एवं योग्य कार्यवाही करें।

4/ डी.पी.आर. कंसल्टेंट द्वारा अवगत कराया है कि कुछ मार्गों में 10 मीटर से अधिक स्पान की पुलियों का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। मेरे द्वारा कंसल्टेंट को निर्देश दिये गये हैं कि ऐसी पुलियों का निर्माण डी.पी.आर. में किया जावे।

जिन मार्गों में डामरीकरण कार्य किया जाना प्रस्तावित किया गया है, इन मार्गों में 10 मीटर से अधिक स्पान की स्वीकृत पुलियों के कार्य अपूर्ण अथवा अप्रारंभ हो सकते है। ऐसी पुलियों के लेवल्स का निर्धारण (टॉप लेवल एवं इन्वर्ट लेवल) रोड के टॉप लेवल्स अनुसार संबंधित म.प्र. ग्रामीण विकास प्राधिकरण के पी.आई.यू. के साथ तय कर लिया जाए। यदि इन मार्गों में 10 मीटर से अधिक स्पान की पुलियाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है तो अब उनकी स्वीकृतियाँ जारी करने की कार्यवाही नहीं जाये। डी.पी.आर. कंसल्टेंट को इस प्रकार की पुलियाओं को शामिल करने के संबंध में निर्देशित किया गया है।

उक्त संबंध में त्वरित कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जावे।

(अनिरूद्ध डी. कपाले)
प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल

पृ.क्रमांक 4869/22/वि–10/ग्रायांसे/2016, भोपाल, दिनांक 20/07/2016

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख अभियंता, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, पर्यावास भवन भोपाल।
2. समस्त मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश।
3. विश्व बैंक प्रकोष्ठ, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, पर्यावास भवन, भोपाल।

26/7

प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल